

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांडल (भीलवाड़ा)

पीठारसीन अधिकारी ^{श्री सुता गांधीवाल} जी. वी. क. ल. दमा, आर ए. एस

मुकदमा संख्या - 196/18

1- श्री तरनारायण शं. श्री रामचन्द्र शर्मा निवासी- गंगलपुरा चांपरास, तहसील मांडल
-----प्रार्थी

वनाम

1- श्री सुता शं. श्री प्रताप नट निवासी- चांपरास, तहसील मांडल
2- राजरूपान राज्य-जरिये तहसीलदार मांडल, तहसील मांडल - विपक्षीगण
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0भू0राज0अधि0 1956

:: आदेश ::

दिनांक:- 19.7.18

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा0भू0राज0अधि0नियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम मंगलपुरा..... पटवार हलका चांपरास, तहसील मांडल/करेड़ा में उसके खाते/संयुक्त खातों की आराजी नं. 2538/264..... कुल कित. 01 रकबा 04 बीघा ----- विस्वा स्थित हैं। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा रावंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 16.7.18.....को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वाद, ग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हेरा-फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम मंगलपुरा..... पटवार हलका चांपरास..... तहसील मांडल/करेड़ा में स्थित आराजी नम्बर 2538/264..... कुल कित 01..... रक 04..... बीघा ----- विस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षा चांपरास..... को 3.00/- -रुपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथार्थिति को बनाये रखते हुये मुस्लकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

Jul
उपखण्ड अधिकारी
मांडल तहसील भीलवाड़ा

प्रतिलिपि:- तहसीलदार मांडल/करेड़ा को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।

Jul
उपखण्ड अधिकारी
मांडल तहसील भीलवाड़ा